सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र, 03, मंगलवार, शाके 1948- अगस्त 25, 2026
Bhadra 03, Tuesday, Saka 1948- August 25, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 17, 2026

संख्या ज.वि.प्रा/उपा/जोन-13/2026/डी-1003 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 22,23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों केतहत जोनल विकास योजना-13 जयपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22-05-2018के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 398वीं बैठक दिनांक 10-06-2025 एवंशुद्धिपत्र दिनांक 22-07-2025 में समिति द्वारा कमिटमेंट के आधार पर ग्राम-पीलवा,तहसील आमेरमें जोनल विकास योजना-13 की प्रस्तावित 30 मीटर सडक (PZ-13/30/39/P2) का अलाईन्मेंटकमिटमेंट के भाग में कमिटमेंट के पूर्वी सीमा से लगते हुए प्रस्तावित किया जाने एवं दोनो भागको पुनः जोनल विकास योजना की 30 मीटर सडक में मिलाया जानेबाबत् निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 25(3) के तहत ग्राम-पीलवा तहसील-आमेर में जोनल विकास योजना-13 की 30 मीटर सडक (PZ-13/30/39/P2) का अलाईनमेंट बिन्दु संख्या बी,सी,डी,एव ई के स्थान पर प्रस्तावित अलाईमेन्ट बिन्दू संख्या बी, बी-1, बी-2, सी-1, डी-1, ई-1 एवं ई के संबंध में दिनांक 25-07-2025 को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र क्रमशः राजस्थान पत्रिका एवं समाचार जगत में आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिवस की सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति जारी की गयी। जिसके संबंध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण को पुनः बीपीसी-एलपी की 414वीं बैठक दिनांक 04-11-2025 में रखा जाकर जोनल विकास योजना-13 की उपरोक्त वर्णित सडक के अलाईमेन्ट मेंसंशोधन किये जाने के संबंध में जविप्रा अधिनियम की धारा 25 की अधिसूचना की कार्यवाही सक्षमस्वीकृति प्राप्त कर जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(4)के तहत प्रदत्तशक्तियों के क्रम मे जोनल विकास योजना-13 की 30 मीटर सडक(PZ-13/30/39/P2) काअलाईनमेंट बिन्दू संख्या बी, सी, डी, एवं ई के स्थान पर बिन्दू संख्या बी, बी-1, बी-2, सी-1, डी-1, ई-1 एवं ई अनुसार (सडक अलाईमेन्ट) संशोधन अधिसूचित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार जोनल विकास योजना-13मे30 मीटर सडक (PZ-13/30/39/P2) का अलाईनमेंटमे संशोधन जविप्रा की वेबसाईट www.jda. rajasthan.gov.in पर देखाजा सकता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 17-06-2026 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थानराजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन की दिनांक से जोनल विकास योजना-13 का भाग मानाजाकर प्रभावी होगी।

गौरव सैनी
सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।